



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. २]

मई दिल्ली, शनिवार, जनवरी १०, १९८१/पौष २०, १९०२

No २]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 10, 1981/PAUSA 20, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य एवं प्रशासनों को छोड़कर)  
केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के असरगत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम  
जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the  
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central  
Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली १२ दिसम्बर १९८०

सां. का० नि० २५—भारत का राजपत्र भाग २ खण्ड-३ उपखण्ड  
(१) तारीख १३ दिसम्बर १९८० के पाठ १४४५-१७ पर  
प्रकाशित भारत सरकार के विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय हीं  
प्रधिसूचना सं. का० नि० ९२४ तारीख १६ अगस्त  
१९८० में विधि न्याय द्वारा कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) गज-  
भाषा खण्ड (मसूह 'क' फट) मर्ती (हिन्दी गणोदयन) नियम १९८० में  
नियमित गृहि दी जाती है—

पृष्ठ १९४६ पर

(i) स्तम्भ २ की छठी अंकित में 'हिन्दी नाम सम्बद्ध प्रादेशिक भाषा'  
के स्थान पर 'हिन्दी' पढ़ें,

पृष्ठ १९१७ पर—

(ii) स्तम्भ १ की पार्श्वी पंक्ति में हिन्दी नाम सम्बद्ध प्रादेशिक भाषा  
के स्थान पर 'नामबद्ध प्रादेशिक भाषा' पढ़ें।

[सं. नि० १२०११/७/७९-प्रश्न.०-१ (विधि)]

का० वा० ग्रन्थर, उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE &amp; COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th December, 1980

G.S.R. 25.—In the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department), Official Languages Wing (Group 'A' Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1980, published with the Notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. G.S.R. 924, dated the 18th August, 1980, at pages 1947-1948 of the Gazette of India, Part II-Section 3 Sub-section (i), dated the 13th September, 1980—

at page 1948—

(i) in column 1, in lines 43 and 44, for 'Hindi regional language concerned', read "Hindi";

(ii) in column 2, in line 26, for "Hindi, regional language concerned", read "regional language concerned".

[No A 12011/7/79-Adm I(LD)]

K. B. IYER, Dy Secy

(ब) क्रम सं० 25 और उससे संबंधित प्रविधियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा ; अधीति :-

### प्राप्तुमूल्य

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की	वर्गीकरण	वेतन	अथवा पद अधिकार	सीधे भर्ती किए जाने सेवा में जोड़े गए वर्षों भर्ती किए जाने	8
1	2	3	4	5	6	7	7(क)
					वर्चयन पद	वाले व्यक्ति के लिए वा फायदा केन्द्रीय वाले व्यक्तियों के श्रावू-सीमा	

"26 अपेल	4	ग.धरण केन्द्रीय सेवा	550-25-750-	अथवा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
प्रन्थेपक		समूह 'A' अराजपत्रित	इ०००-३०-				

सीधे भर्ती किए जाने परिकीक्षा की अवधि, भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होनी प्रोत्साहन/प्रतिनियुक्ति/स्थानात्तरण यदि विभागीय प्रोत्साहन मरमित भर्ती करने में किन वाले व्यक्तियों के लिए, यदि कोई हो या प्रोत्साहित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/द्वारा भर्ती की दशा में वे व्यष्टियां हैं, तो उसकी मंजूरी अन्वेषक आयु और स्थानात्तरण द्वारा तथा विभिन्न जिससे प्रोत्साहन/प्रतिनियुक्ति/स्थानात्तरण द्वारा भरी जाने वाली नान्तरण किया जाएगा। विभिन्न व्यक्तियों की प्रतिशतता

यदि विभागीय प्रोत्साहन मरमित भर्ती करने में किन परिस्थितियों में मंजूरी नोक सेवा आयोग से प्राप्त किया जायेगा

लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोत्साहन द्वारा	प्रोत्साहन :	समूह 'A' विभागीय प्रोत्साहन	इन नियमों के किसी
			आकाशवाणी के ऐसे अन्वेषक प्रौढ़/मालिकी सहायक जिन्होंने	मरमित	उपबंध को शिथिल/
			प्रपनी-प्रपनी श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के	1. उपमहानिवेशक (पी)	संघ सोशल कर्से समय
			पश्चात् 5 वर्ष सेवा की है	—अध्यक्ष	संघ सोक सेवा आयीग
				2. उपमहानिवेशक (ए)	से परामर्श किया
				—मदस्य	जाएगा
			3. श्रोता अनुसंदान निवेशक —मदस्य		

[फाइल सं० 12019/1/78-वी (प)]

New Delhi, the 16th December, 1980

**G.S.R. 44.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1962, namely :—

1 (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group B) posts Recruitment Rules, 1962 :—

(a) between columns 7 and 8 the following column and heading thereto shall be inserted, namely :—

"7(a) Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972".

(b) after serial No. 25 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

## SCHEDULE

S. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-select- tion post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qual- ifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7a	7	8
"26. Senior Investi- gator	4	General Central Service Group 'B' Non-gazett- ed Non- Ministerial	Rs. 550-25- 750-EB-30- 900	Selection	Not applicable	Not applic- able	Not applic- able	Not applicable.

Whether age and Period of educational qualifications prescribed if any for direct recruits will apply in the case of promotees

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and motion/deputation/transfer to percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which to be made

If a DPC exists, what is its composition

Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By promotion	Promotion : Investigators and Statistical Assistants in All India Radio with 5 years service in the respective grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'B' Departmental Promotion Committee 1. Deputy Director General (P)—Chairman 2. Deputy Director General (A)—Member 3. Director Audience Research—Member.	UPSC shall be consulted while amending or relaxing any of the provisions of these rules."

[F. No. 12019/1/78 B(A)]

नई विल्सो, 17 दिसंबर, 1980

सांख्यिकीय अधिकारी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम, बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशशाणी (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1980 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. आकाशशाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में, कम से 71 और उससे सबधित प्रविधियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुस्यापित किया जाएगा, अर्थात्—

## अनुसूची

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	बेतन	बचत पद अवधि	सीधे भर्ती किए जाने वाले अधिकारी के लिए अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले अधिकारी के लिए आयु-सीमा पैकिए और अन्य अनुसूचित	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	
"7.2	पर्यावरण	72	साधारण केन्द्रीय सेवा	425-15-500- समूह "ग" प्राय- पिकार्गीय (प्रशास- पत्रित)	द०रो०-15- 560-20- 700 रु०	लागू नहीं होता	35 वर्ष	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्व- विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक्यु- लेशन या समतुल्य 2. लक्षीकी या अनुसंधान संस्थाएँ दस्तावेजों जैसे संबोधन रिपोर्टें,

1	2	3	4	5	6	7	8
सीधे भर्ती किए जाने परिवेशकों की बहनों की पढ़नि/भर्ती सीधे हांगी वाले अस्किया के अवधि यदि कार्ड या प्राप्तनि द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण मर्ही वी दशा में के श्रेणिया स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पढ़सियों द्वारा भर्ती किए जाने तात्पर्य के लिए विधि विधान के लिए विधियां नीं गई अतिम तारीख शामी।	स भिज जा अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्ष्मीगंग में रहने वे) भारतीय प्राप्तनि करने के लिए विधियां नीं गई अतिम तारीख शामी।	प्रथा सूचिया, तकनीका बागज-पद, चिपाटौं के अभियास आदि तैयार करने वा या तैयार बन्दान का योग्य इस वर्ष वा अनुभव। विद्युत से चलने वाला प्रत्युत्पादन मशीनों का कार्य गाधन ज्ञान।					
साग नहीं हाला दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकते पर सीधी भर्ती द्वारा। (प्रतिनियुक्ति सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं हांगी)	प्राप्तनि/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा मर्ही वी दशा में के श्रेणिया जिनमें प्राप्तनि/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा शामी रिक्तियों की प्रतिशतता	यदि विभागीय प्राप्तनि न मिल मर्ही वी दशा में के श्रेणिया है, तो उसकी संख्या इन पर्याप्तियों में गांक नवा आयाग ते प्राप्तनि विधा जाएगा।				
9	10	11	12	13	14		
				(1) निदेशक वाला अन साधान व्यवासायाण —अध्यक्ष	लाग नहीं हाला		
				(2) उपनिदेशक शोता अनुसंधान अधिकारी—मदस्य			
				(3) अवर सचिव (योजना अध्याग) —सदाच			

[म० 12014/1/7 श० (ए०)]  
आर० नी० जाशी, अवर सचिव

New Delhi, the 17th December, 1980

**G.S.R. 45**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules 1964 namely—

1 (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1980

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Schedule to the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1964, after serial No 71 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely—

#### SCHEDULE

S No of post	Name of post	No of post	Classification	Scale of pay	Whether selections post or non select ion posts	Age for direct recr uitment	Educational and other qualifica tions required for direct recr uitment
1	2	3	4	5	6	7	8
"72 Supervisor *Note Subject to var- iation de- pending on work load	One Service Group 'C' Non-Mini- strial (Non- Gazetted)	General Central EB-15-500- 20-700	Not appli- cable	35 years	The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	1 Matriculate of recognised University or Board or equivalent 2 About 10 years' experience in assisting or in preparing technical or research documents such as survey reports, bibliographies, technical reports, etc. 3 Working knowledge of electrically operated reproduction machines	